न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत हूडेरा

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रेणु मीणा (आर. ए. एस.)

प्रकरण संख्या :– 04/17 निर्णय दिनांक :–03.05.2018

1. सोहनसिंह पुत्र नोपाराम
2. हीरा देवी पत्नि सोहनसिंह समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम भोजदेसर तहसील रामगढ जिला सीकर राजस्थान। ....प्राथीगण

बनाम

1. समुन्द्र सिहं पुत्र सवाई सिहं दत्तक पुत्र धीसासिहं
2. भंवरसिहं
3. मदनसिहं
4. महावीरसिहं
5. चूनसिहं
6. गोपालसिहं
7. दारासिहं
8. भवानीसिहं पुत्रगण बजरंग सिहं
9. भादरसिहं
10. परबत सिहं पुत्रगण सवाईसिहं
11. मोहरसिहं
12. दिलेरसिहं
13. हजारीसिहं पुत्रगण सोबसिहं
14. मदन कंवर पत्नि सोबसिहं समस्त जाति राजपूत निवासीगण शेखीसर तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)
15. तहसीलदार तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।
16. जिला कलेक्टर महोदय सीकर। ....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) रा.का. अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम शेखीसर पटवार क्षेत्र हुडेरा तहसील रामगढ शेखावाटी मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 140 रकबा 6.31 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 129 रकबा 7.20 हैक्टेयर अवस्थित है।

खसरा नम्बर 140 की भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खाते की कृषि भूमि है, जिसपर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 129

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी (सीकर)
लोक अदालत / कैम्प कोर्ट 2018
ग्राम पंचायत हुडेरा

प्रार्थीगण संख्या 01 ता 14 के संयुक्त खाते की कृषि भूमि है जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 काश्त करता है।

प्रार्थीगण के खेंत खसरा नम्बर 140 मे आवागमन का एकमात्र प्रचलित रास्ता शेखीसर से ठिठावता के रास्ते से निकलकर खसरा नम्बर 130 से होते हुए कृषि भूमि खसरा नम्बर 129 मे से आता जाता रहा है, जिसे नजरी नक्सा मे ABC से दर्शित किया हैं। इसी रास्ते से होकर प्रार्थीगण अपने खसरा नम्बर 140 मे अपने पशुधन, कृषि यंत्र, ट्रेक्टर , उंटगाडी आदि सहित आवागमन करते आ रहे है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी गण के खसरा नम्बर 140 मे आवागमन का अन्य कोई रास्ता नही है, जिसे अप्रार्थी संख्या 01 एवं अन्य अप्रार्थीगण 02 ता 14 मिलकर पिछले 01 माह से प्रार्थीगण को इस रास्ते से आवागमन करने मे बाधा डाल रहे है।

प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 140 मे आवागमन हेतु रास्ता खसरा नम्बर 129 मे नजरी नक्सा मे दर्शित गहरे लाल रंग व मार्क BC दर्शित स्थान पर है जिनमे से होकर प्रार्थी गण हमेशा से आते जाते रहे है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण का अन्य कोई रास्ता नही है। अतः उक्त रास्ते की चौडाई कम से कम 15 फूट की जानी सर्वथा उचित व आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम शेखीसर तहसील रामगढ शेखावाटी मे प्रार्थी गण की भूमि खसरा नम्बर 140 मे आवागमन हेतु कृषि भूमि खसरा नम्बर 129 मे से नजरी नक्सा से गहरी लाल रंग से दर्शित कर मार्क B से C तक अंकित 15 फुट चौडे रास्तें को दर्शाया गया है, उक्त मार्क B से C दर्शाये गये रास्तें को राजस्व रिकॉर्ड में निर्धारित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि खसरा नम्बर 140 मे आने जाने का रास्ता खसरा नम्बर 129 मे से कभी भी नही रहा है। प्रार्थीगण ने नक्सा गलत पेश किया है। प्रार्थीगण कभी भी अप्रार्थी संख्या 01 के खेत खसरा नम्बर 129 मे से पशुधन, कृषि यंत्र, ट्रेक्टर तथा उंट गाडी आदि नही लायें। खसरा नम्बर 140 मे आने जाने का रास्ता खसरा नम्बर 159 ता 154 व 141 मे से मौजूदा कटानी रास्ता होकर है। खसरा नम्बर 154 व 141 मे से होकर कटानी रास्ता से प्रार्थीगण अपने खेत मे आते जाते रहे है तथा यही रास्ता सुगम व सरल है। इसमे से अगर भूमि काटी जाती है तो भूमि भी कम जाती है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 के खेत खसरा नम्बर 129 मे से रास्ता जाने के प्रार्थीगण कतई अधिकारी नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं। प्रार्थीगण ने गलत नक्सा किया है लाल रंग से दर्शित ए बी सी दर्शित स्थान पर कोई रास्ता नही है प्रार्थीगण के लिए सुविधाजनक रास्ता खसरा नम्बर 154 व 141 मे से है जो प्रार्थीगण के नजदीक भी है। तहसीलदार महोदय से खसरा नम्बर 154 व 141 प्रार्थीगण के खेत बाबत रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी (सीकर)
लोक अदालत / ... कोर्ट 2018
ग्राम पंचायत

बनाई जानी न्योयोचित है। जो 225 फुट दुरी है। जबकि खसरा नम्बर 129 मे से करीब 750 फुट दुरी पडती है। अतः सुगम व सरल रास्ता खसरा नम्बर 154 व 141 मे से ही है। प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 01 के खेत खसरा नम्बर 129 मे से रास्ता रंजिश पूर्वक जबरन रास्ता निकालना चाहते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं. 15 तहसीलदार रामगढ शेखावाटी से प्रकरण मे मौके की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार रामगढ शेखावाटी ने अपने पत्र क्रमांक /भू. अ. /2017/1636 दिनांक 20.12.2017 पत्र से रिपोर्ट प्रेषित कर कथन किया कि वर्तमान मे प्रार्थी का खसरा नम्बर 140 रकबा 6.31 है0 पडत है। जिसमे आने जाने हेतु कही से भी कोई रास्ता चालू नही है संलग्न नक्से मे दर्शाये गए बिन्दु **'ए'** से खसरा नम्बर 131 गै0 मु0 रास्ता(कटानी) से होते हुए खसरा नम्बर 130 चारागाह मे रास्ता प्रवेश करता है व 'अ' स्थान से रास्ते को छोडते हुए खसरा नम्बर 130 चारागाह के दक्षिणी पश्चिमी कोने मे जो कि खसरा नम्बर 129 का दक्षिणी पूर्वी कोना है संलग्न नक्शे मे जिसे **'ब'** दर्शाया गया है, लगभग 5–6 माह पुराना बंधा (डोल बाड) बना हुआ है, जिसके पार पश्चिम दिशा मे खसरा नम्बर 129 की दक्षिणी सीमा के समानान्तर रास्ते के निशान बने हुए है, जो कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 140 तक जाता है।

एक अन्य रास्ता खसरा नम्बर 161 गै0 मु0 श्मशान, खसरा नम्बर 159 गै0मू0 रास्ता, खसरा नम्बर 158, 156, 155, 154 व 141 कृषि भूमियो से गुजरता है का मौके पर अवलोकन करने पर पाया गया कि इस रास्ते से कही पर भी खसरा नम्बर 140 मे आने जाने का काई भी निशान खसरा नम्बर 141 व 154 मे से नया या पुराना नही पाया गया, तथा खसरा नम्बर 141 की पूर्वी व खसरा नम्बर 154 की पश्चिमी सीमा से सटता हुआ स्थान वर्तमान मे आवागमन योग्य नही है तथा उबड खाबड है। प्रचलित रास्ते से खसरा नम्बर 154 की पश्चिमी सीमा से सटता हुआ स्थान **'स'** से **'सी'** तक रास्ते की लम्बाई 82 मीटर होती है। तथा खसरा नम्बर 141 मे से पूर्वी सीमा से सटता हुआ रास्ता की लम्बाई **'स'** से **'सी'** तक 80 मीटर है।

प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 129 मे से चाहे गये रास्ते की लम्बाई 732 फूट तथा चौडाई 15 फूट अर्थात कुल क्षेत्रफल 10980 वर्ग फूट है। जिस की वर्तमान डी.एल.सी. दर 8,32,118 रूपये है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये नवीन रास्ते की भूमि मे कोई निर्माण या वृक्ष आदि मौजूद नही है।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया एवं तहसीलदार रामगढ शेखावाटी की रिपोर्ट के अनुसार दो अन्य वैकल्पित रास्ता खसरा नम्बर 154 व 141 मे से होकर जाने वाले है जिसकी लम्बाई क्रमशः 82 मीटर व 80 मीटर है जो कि लधुतम रास्ते हैं लेकिन प्रार्थीगण ने कभी भी उक्त रास्ते से आवागमन नही किया है और उक्त दोनो रास्ते उबड खाबड होने के कारण आवागमन के काबिल भी नही है। खसरा नम्बर 154 व 141 मे

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी (सीकर)
लोक अदालत / ग्राम कोर्ट 2018
ग्राम पंचायत ....

खसरा नम्बर 140 मे जाने हेतु मौके पर रास्ते के कोई निशान आदि नही बने हुए है। जबकि खसरा नम्बर 130 चारागाह के दक्षिणी पश्चिमी कोने मे जो कि खसरा नम्बर 129 का दक्षिणी पूर्वी कोना से प्रवेश कर खसरा नम्बर 129 की दक्षिणी सीमा के समानान्तर मौके पर रास्ते के निशान बने हुए है तथा उक्त रास्ते मे कोई भी निर्माण, वृक्ष आदि नही है। तहसीलदार रामगढ द्वारा पूर्व मे अपने पत्र कमांक भू.अ./15/1542 दिनांक 25.06.2015 मे इसी रास्ते की अभिषंशा की गई है। अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को अपने खेत ख. नं. 140 में आवागमन के लिए खसरा नम्बर 129 मे से चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई सुव्यवस्थित एवं सुगम विकल्प उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए रा. का. अधिनियम स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

अतः प्रार्थीगण सोहनसिहं पुत्र नोपाराम तथा हीरा देवी पत्नि सोहनसिहं समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम भोजदेसर तहसील रामगढ जिला सीकर (राजस्थान) का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए रा.का.अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार रामगढ शेखावाटी के द्वारा प्रस्तुत नक्शा में खसरा नम्बर 129 वाके ग्राम शेखीसर की दक्षीणी सीमा के समानान्तर लाल रंग से दर्शाया गया नवीन रास्ता बिन्दू **"ब"** से **"बी"** जो प्रार्थीगण के ख. नं. 140 वाके ग्राम शेखीसर तह. रामगढ शेखावाटी के महम की सीमा तक जाता है, जिसकी खसरा नम्बर 129 वाके ग्राम शेखीसर मे लम्बाई 732 फूट एवं चौड.ाई 15 फूट कुल क्षेत्रफल 10980 वर्ग फूट(1020 वर्ग मीटर) है, को गै. मु. रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 140 की उत्तरी सीमा के उत्तरी—पूर्वी कोने की 20 फुट भूमि छोडकर पूर्व—पश्चिम दिशा मे अर्थात अप्रार्थीगण 01 ता 14 के खेत खसरा नम्बर 129 के ठीक दक्षिणी दिशा की सीवं के समानान्तर 10980 वर्गफुट(1020 वर्गमीटर) अर्थात् 0.1020 हैक्टेयर भूमि खसरा नम्बर 129 मे दिये गये रास्ते के प्रतिफल मे उक्त समान क्षेत्रफल की भूमि की खातेदारी खेत खसरा नम्बर 129 के समस्त खातेदारान के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे। तहसीलदार रामगढ शेखावाटी उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

आदेश आज दिनांक 03.05.2018 को कैम्प कोर्ट हुडेरा मे खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रेणू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढशेखावाटी(सीकर)

श्रीमानजी